

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005
(दूरभाष 0141-2740837, फ़ैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)
क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/(लिंक नं.-124333/2023)/अलेसे-III/193 दिनांक:- 16-01-2025

कार्यालय आदेश

श्री नाहर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-724151) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय पंचायत समिति अलसीसर जिला झुंझुनूं के पत्र क्रमांक 1771 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा अग्रेषित प्रार्थना पत्र के आधार पर राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 96 एवं वित्त (नियम अनुभाग) विभाग के मेमारण्डेम दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण में निम्नानुसार असाधारण(अवैतनिक) अवकाश स्वीकृत किया जाता है:-

दिनांक 09.04.2025 से 22.04.2025 तक (कुल 14 दिवस)
(चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

उक्त असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्री नाहर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावें।

उक्त निदेशक महोदया से अनुमोदित है।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/(लिंक नं.-124333/2023)/अलेसे-III/193
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 16-01-2025

1. विकास अधिकारी, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनूं।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में प्रविष्टी करने हेतु।
4. श्री नाहर सिंह, कनिष्ठ लेखाकार (रोल नं.-724151) (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति अलसीसर, जिला झुंझुनूं।
5. पदस्थापन सीट/वरिष्ठता सीट/रक्षित पत्रावली।

Signature valid

संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)

Digitally signed by Seema Kaushal
Designation: Joint Director
Date: 2026.01.16 11:19:02 IST
Reason: Approved

